रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 449] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 9, 1994/भाद्र 18, 1916

No. 449] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 9, 1994/BHADRA 18, 1916

वाणिज्य मंत्रालय

(तम्बाकू उद्योग विकास नियंत्रण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 1994

का. आ. 654(अ) :—केन्द्रीय सरकार, तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 3 और 4 के साथ पठित तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय (तम्बाकू उद्योग विकास

नियंत्रण) के समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 17 दिसम्बर, 1975 की अधिसूचना का. आ. सं. 5417 में निम्नलिखित और भी संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 4 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"4. श्री राजूभाई ए. परमार संसद सदस्य (राज्यसभा), 181, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली – 110011	सदस्य – राज्य सभा द्वारा नामित । वह इस पद पर दिनांक 13 जून, 1997 तक रहेंगे ।"

स्थायी पता :—

एफ – 4, संस्कृति अपार्टमेन्ट्स,
रचना सोसायटी के समीप,
प्रेमचन्द नगर रोड सेटेलाइट,
ओधपुर, अहमदाबाद, गुजरात

[फा. सं. 8/13/89–ईपी (एग्री–6) –खंड–2]
अशोक कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना दिनांक 17-12-1975 के का. आ. सं. 5417 के तहत प्रकाशित की गई थी और बाद में उसमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए :—

अधिसूचना संख्या :

1. दिनांक 19-2-1979 का का. आ. सं. 100(अ)
2. दिनांक 1-3-1982 का का. आ. सं. 112 (अ)
3. दिनांक 4-9-1985 का का. आ. सं. 651(अ)
4. दिनांक 2-9-1988 का का. आ. सं. 832 (अ)
5. दिनांक 7-12-1988 का का. आ. सं. 1158(अ)
6. दिनांक 10-5-1990 का का. आ. सं. 376 (अ)
7. दिनांक 4-9-1990 का का. आ. सं. 678(अ)

8. दिनांक 5-12-1990 का का. आ. सं. 934 (अ)

9. दिनांक 4-9-1991 का का. आ. सं. 569(अ)

10. दिनांक 20-12-1991 का का. आ. सं. 887(अ)

11. दिनांक 9-6-1992 का का. आ. सं. 412(अ)

MINISTRY OF COMMERCE

(Tobacco Industry Development Control)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd, August, 1994

S.O. 654(E).—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975), read with rules 3 and 4 of the Tobacco Board Rules, 1976, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce (Tobacco Industry Development Control), No. S.O. 5417 dated the 17th December, 1975 as amended from time to time, namely :—

In the said notification for serial number 4 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"4. Shri Rajubhai A. Parmar, Member of Parliament, (Rajya Sabha), 181, South Avenue, New Delhi-110011.	Member—Elected by the Rajya Sabha. He shall hold office upto 13th June, 1997."

Permanent Address:

F-4, Sanskruti Apartments,
Near Rachana Society,
Premchand Nagar Road Satellite,
Jodhpur,
Ahmedabad, Gujarat.

[F.No. 8/13/89-EP(AGRI. VI) Vol. II]

A. KUMAR, Jt. Secy.

Note:—The original notification was published under S. O. No. 5417 dated 17-12-1975 and subsequently amended by :—

Notification No. :

1. S.O. 100(E) dated the 19-2-1979
2. S.O. 112(E) dated the 1-3-1982
3. S.O. 651(E) dated the 4-9-1985
4. S.O. 837(E) dated the 2-9-1988
5. S.O. 1158(E) dated the 7-12-1988
6. S.O. 376(E) dated the 10-5-1990
7. S.O. 678(E) dated 4-9-1990
8. S.O. 934(E) dated the 5-12-1990
9. S.O. 569(E) dated the 4-9-1991
10. S.O. 887(E) dated the 20-12-1991
11. S.O. 412(E) dated the 9-6-1992

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994